फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री भगवानलाल बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड व अन्य
क़िस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 16/25

नांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 11.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2, 5, 6 अपुनस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 5, 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी का नाम भगवानलाल पिता उंकार के स्थान पर भगवानलाल पिता रामलाल शुद्ध किय जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी के नाम संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा निमडी पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसील कानोड खाता संख्या नया 65 में प्रार्थी का नाम भगवानलाल पुत्र उंकार अंकित है जो गलत है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 6 की पुश्तैनी भूमि है। उक्त भूमि उंकार पिता भागा जी सालवी की थी जो प्रार्थी के दादा जी है। यह कि प्रार्थी के दादा जी उंकार पिता भागा जी के निधन से पूर्व ही प्रार्थी के पिता रामलाल का निधन हो गया तत्पश्चात प्रार्थी के दादा उंकार जी के निधन के बाद उनकी विरासत के खोले नामान्तकरण में सेहवन से प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के स्थान पर उंकार अंकित कर दिया गया जबकि उंकार प्रार्थी के दादा जी का नाम है इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम में उसके पिता के स्थान पर उंकार के जगह रामलाल अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी के दादा उंकार जी के निधन के बाद विरासत का नामान्तरण खोला गया जिसमें सहवन से त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल के स्थान पर उंकार अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामलाल है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम उंकार के स्थान पर रामलाल संशोधन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2, 5, 6 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। अनुपस्थित रहें। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजस्व ग्राम नीमडी की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 65 कुल आ. किता 12 रकबा 0.6700 है. में प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र उंकार हिस्सा 1/8 जाति सालवी सा. देह खातेदार दर्ज

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

रेकर्ड है। यह कि प्रार्थी श्री भगवानलाल के पिता श्री रामलाल की मृत्यु अपने दादाजी पूर्व हो गई थी। दादाजी श्री उंकार पिता भागा की मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान् की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी श्री भगवानलाल के नाम के साथ अपने पिता का रामलाल अंकित नहीं कर पिता की जगह दादाजी का नाम उंकार दर्ज कर दिया था। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्ता आधार कार्ड, आठवीं बोर्ड अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र एवं पटवारी हल्का सारंग कानोड की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का वास्तविक सही नाम भगवानलाल पिता राम सालवी है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अंकतालिका की प्रति, आ कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम भगवानलाल पिता रामलाल अंकित है ही कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा कानोड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्र पंचायत द्वारा प्रमाणित किया कि भगवानलाल सालवी पिता रामलाल सालवी निवा निमडी तहसील कानोड के मूल निवासी है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट स्पष्ट है कि प्रार्थी के दादा उंकार पिता भागा की मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरक के दौरान प्रार्थी के पिता के नाम की जगह दादाजी(उंकार) का नाम अंकित कर दि जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि मौजा नीमडी पटवार हल्का सारंगपुरा (कानोड) तहसी कानोड की जमाबंदी संवत् 2078–2081 की खाता संख्या नया 65 में खातेदार भगवानला पुत्र उंकार के नाम को संशोधित करते हुये **भगवानलाल पुत्र उंकार** के बजाय **भगवानला पुत्र रामलाल** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष वदस्तुर रहें। पालना हे तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)